	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित समय अभाव के कारण निर्णय सुनाया नहीं जा सका। पत्रावली वास्ते पुनः बहस आगामी दिनांक 20-03-2025 को पेश हो।	
20-03-25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 27-03-2025 को पेश हो।	
27-03-25	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 03-04-2025 को पेश हो।	
03-04-25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद तकमिल संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बूंदी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 111/2024 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 03.09.2024 — श्रीमती भावना सिंह(**RAS**)

बउनवान

1. पंकज गुप्ता आ0 श्री कृष्ण कुमार जाति महाजन निवासीगण कमला नगर, दिल्ली।
2. रंजन गुप्ता आ0 श्री कृष्ण कुमार जाति महाजन निवासीगण कमला नगर, दिल्ली।

–प्रार्थिगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. श्रीमती मीना वर्मा पत्नी श्री कृष्ण कुमार वर्मा जाति कोली निवासी शास्त्री नगर, दादाबाडी, कोटा शहर, जिला कोटा, राज0।

–अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट0

दिनांकः–03.04.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थिगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र से संबंधित एक वाद न्यायालय में विचाराधीन है। वाद विषयक अराजी खसरा संख्या 84 रकबा 0.96है0 वाके ग्राम बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। उक्त खसरा संख्या के सेटलमेंट सर्वे सन् 1995 से 2015 के पूर्व के खसरा संख्या 14 रकबा 6बीघा 5बिस्वा थे और इसी प्रकार वर्तमान खसरा संख्या 90 रकबा 2.31है0 के सेटलमेंट सर्वे सन् 1995 से 2015 के पूर्व खसरा संख्या 14/1 रकबा 15बीघा थे। पूर्व खसरा संख्या 14 की नक्शा ट्रेस में तरमीम हो रही है जो पुराने खसरा संख्या 12 व 13 की दक्षिण मेर से लगी हुई है और खसरा संख्या 12 व 13 के उत्तरी मेर की तरफ से खसरा संख्या 14/1 का नक्शा ट्रेस में अमल है। सेटलमेंट सर्वे के पश्चात् मूल खातेदार भैरूलाल आ0 गणेश खटीक द्वारा विक्रय से राजेन्द्र कुमार आ0 श्री मोडूलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई है। सेगरीगेशन के समय खसरा संख्या 90 के स्थान पर खसरा संख्या 290/90 व 291/90 दो खसरा बनाकर नक्शे में तरमीम कर दिया गया और अप्रार्थी सं 2 द्वारा खरीद किये जाने से वर्तमान में अप्रार्थी सं 2 के खाते में दर्ज है परन्तु मूल खातेदार का जहां कब्जा था वहीं अप्रार्थिया सं 2 का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थिगण ने सेटलमेंट से पूर्व अपनी कृषि भूमि पर टीनशेड कर कमरा व

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

बांधने व चारा रखने हेतु परिसर का निर्माण कर रखा है। सेटलमेंट सर्वे के पश्चात् बने ना ट्रेस में सेटलमेंट विभाग ने प्रार्थिगण के कब्जे की भूमि के खसरा संख्या 90 दर्ज कर या और सेगरीगेशन के समय पुराने खसरा संख्या 90 को विलोपित कर नये खसरा संख्या 290/90 व 291/90 नक्शे में तरमीम कर अप्रार्थिया संख्या 2 के खाते में दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि प्रार्थिगण के खाते में दर्ज होनी थी और अप्रार्थी सं 2 के कब्जे अधिकार की भूमि प्रार्थिगण के खाते में दर्ज होनी थी और अप्रार्थिया सं 2 के कब्जे अधिकार की भूमि पर प्रार्थिगण के पुराने खसरा संख्या 14 से बने नये खसरा संख्या 84 का नक्शा ट्रेस बना दिया जिस पर अप्रार्थिया सं 2 का कब्जा है और खाते प्रार्थिगण के है। प्रार्थिगण के सेटलमेंट से पूर्व के पुराने खसरा संख्या 14 की भूमि में से भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे निकला है जिसकी सर्वे रिपोर्ट में प्रार्थिगण का पक्का निर्माण माना है और उसके अनुसार अवाप्त भूमि मुआवजा सूची में प्रार्थिगण का नाम दर्ज है। सेटलमेंट विभाग को राजस्व रेकार्ड में व नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थिगण को सेटलमेंट विभाग के द्वारा प्रार्थिगण के कब्जे अधिकार की भूमि के गलत नम्बर दर्ज कर खसरा संख्या 90 में मिला देने की जानकारी भारतमाला एक्सप्रेस वे के सर्वे के पश्चात् भूमि अवाप्ति की कार्यवाही किए जाने से हुई जिसके पश्चात प्रार्थिगण ने कई प्रार्थना पत्र तहसीलदार इन्द्रगढ़ के समक्ष पेश किए पर कोई कार्यवाही अप्रार्थी सं 1 द्वारा नहीं की गई। अन्तिम बार दिनांक 15.05.2023 को महंगाई राहत कैम्प में प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा है। अप्रार्थिया सं 2 द्वारा माननीय न्यायालय में वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये कृषि भूमि ख0सं0 290/90 व 291/90 के संबंध में पत्थरगढ़ी व सीमांकन करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें अप्रार्थिया ने उक्त कृषिभूमि पर अपना कब्जा बताया है एवं अपने कथनों से विपरीत जाकर एक षडयंत्र के तहत तहसील इन्द्रगढ़ में प्रार्थिगण को उक्त कृषिभूमि में से 5बीघा भूमि से बेदखल करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस पर अप्रार्थी सं 1 प्रार्थिगण को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थिगण द्वारा प्रार्थिगण वाद ग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया गया या अप्रार्थी सं 2 द्वारा वाद ग्रस्त आराजी का बैचान, रहन, कब्जा, बय कर दिया तो प्रार्थिगण को ऐसी भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं होगी। प्रार्थिगण का मुकदमा प्रथम दृष्ट्या सही एवं प्रमाणित है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिगण के पक्ष में है अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थिगण को ताफैसला मूल वाद तक जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि से प्रार्थिगण को बेदखल नहीं करें एवं न ही भूमि रहन, बेचान करें।

प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये नोटिस अप्रार्थिगण को तलबकर किया गया। अप्रार्थी सं 1 की तरफ से सरकार पेरोकार तहसीलदार इन्द्रगढ़ उपस्थित हुए उनकी तरफ से कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से उनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थिया संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थिगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

स्तुत दावा मेनटेनेबल नहीं है और कमजोर है तो अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र ज योग्य है। वाद ग्रस्त अराजी अप्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। र्थिगण व अप्रार्थिया दोनों क्रेता है व क्रेता के आधार पर ही खातेदार टीनेन्ट है इन्होनें जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार बने है जो वर्तमान स्थिति है वह सही है उस स्थिति के आधार पर ही कब्जा है और मौके पर प्रार्थिगण का नक्शा पृथक बना हुआ है और अप्रार्थी मीना वर्मा का भी पृथक नक्शा बना हुआ है। मौके पर दोनों के मध्य कोई विवाद नहीं है। वास्तविकता इस प्रकार है कि अप्रार्थिया मीना वर्मा द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.07.2017 को खसरा संख्या 90 रकबा 2.31 है0 में से 1.44है0 भूमि राजेन्द्र कुमार आ0 मोडूलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी से खरीदी है और काबिज काश्त है तथा इसी प्रकार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.01.2019 को अप्रार्थिया द्वारा कृषि भूमि खसरा संख्या 90 रकबा 0.87है0 वाके ग्राम बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढऋ से राजेन्द्र कुमार जाति बैरवा निवासी बिशनपुरा से खरीद की है इसी अनुसार कब्जा काश्त है तथा नक्शा बना हुआ है वर्तमान में खसरा संख्या 291/90 रकबा 1.44है0 व खसरा संख्या 290/90 रकबा 0.87है0 वाके बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिसके खातेदार टीनेन्ट अप्रार्थिया सं 2 मीना वर्मा है एवं कब्जा काश्त है तथा इसी खसरा संख्या के अनुसार नक्शा में तरमीम हो रही है जो सही है। प्रार्थिगण भी क्रेता है इन्होनें रामकरण आ0 भूरा जाति गुर्जर निवासी बिशनपुरा से कृषि भूमि खसरा संख्या 84 रकबा 0.96है0 वाके ग्राम बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ खरीदी है इसके अनुसार ही कब्जा काश्त है व नक्शे में तरमीम हो रही है जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। सेटलमेंट से संबंधित कोई विवाद नहीं है प्रार्थिगण ने झूठा अभिवचन लिखा है क्योंकी प्रार्थिगण और अप्रार्थिया सं 2 द्वारा यह भूमियां रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदी गई है तो सेटलमेंट का तो विवाद ही नहीं है, रहा सवाल नक्श ट्रेस वह बिलकुल सही है। जब विक्रेता द्वारा किसी प्रकार का नक्शा संबंधित विवाद नहीं उठाया और उन्होंने सही माना है तो क्रेता को तो इस प्रकार का वाद लाने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थिया सं 2 मीना वर्मा की 0.64है0 भूमि 148 एन राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अवाप्त कर ली गई है व शेष बची हुई भूमि जो 1.67है0 भूमि पर कब्जा काश्त है। उक्त अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा अप्रार्थिया सं 2 ने प्राप्त किया है। सेटलमेंट विभाग द्वारा कोई गलती नहीं की गई है जिस प्रकार सेटलेमेंट के पहले नक्शा था उसी प्रकार वर्तमान में है। प्रार्थिगण का खसरा संख्या 84 रकबा 0.96है0 पर कब्जा है। प्रार्थिगण का बिना आधार के दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है क्योंकि अप्रार्थिया सं 2 वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड खातेदार है व कब्जा काश्त है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

प्रार्थना पत्र पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थिगण अधिवक्ता ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 84 रकबा 0.96है0 वाके ग्राम बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ के सेटलमेंट सर्वे सन् 1995 से 2015 के पूर्व के खसरा संख्या 14 रकबा 6बीघा 5बिस्वा थे और इसी प्रकार वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

संख्या 90 रकबा 2.31है0 के सेटलमेंट सर्वे सन् 1995 से 2015 के पूर्व खसरा संख्या 1 रकबा 15बीघा थे। पूर्व खसरा संख्या 14 की नक्शा ट्रेस में तरमीम हो रही है जो पुराने खसरा संख्या 12 व 13 की दक्षिण मेर से लगी हुई है और खसरा संख्या 12 व 13 के उत्तरी मेर की तरफ से खसरा संख्या 14/1 का नक्शा ट्रेस में अमल है। सेटलमेंट सर्वे के पश्चात् मूल खातेदार भैरूलाल आ0 गणेश खटीक द्वारा विक्रय से राजेन्द्र कुमार आ0 श्री मोडूलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई है। सेगरीगेशन के समय खसरा संख्या 90 के स्थान पर खसरा संख्या 290/90 व 291/90 दो खसरा बनाकर नक्शे में तरमीम कर दिया गया और यह भूमि अप्रार्थी सं 2 द्वारा खरीद किये जाने से वर्तमान में अप्रार्थी सं 2 के खाते में दर्ज है परन्तु मूल खातेदार का जहां कब्जा था वहीं अप्रार्थिया सं 2 का कब्जा चला आ रहा है। सेटलमेंट सर्वे के पश्चात् बने नक्शा ट्रेस में सेटलमेंट विभाग ने प्रार्थिगण के कब्जे की भूमि के खसरा संख्या 90 दर्ज कर दिया जिसके नये खसरा संख्या 290/90 व 291/90 नक्शे में तरमीम कर अप्रार्थिया संख्या 2 के खाते में दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि प्रार्थिगण के खाते में दर्ज होनी थी। अप्रार्थिया का कब्जा वर्तमान में खसरा संख्या 290/90 व 291/90 पर नहीं है वहां प्रार्थिगण का कब्जा काश्त है। अप्रार्थियां ने स्वयं तहसीलदार इन्द्रगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत 5बीघा जमीन से प्रार्थिगण को बेदखल करने की कार्यवाही पेश की है जिससे यह साबित होता है कि उक्त भूमि पर प्रार्थिगण का कब्जा है। प्रार्थिगण के पक्ष में प्राथमिक दृष्ट्या केस प्रमाणित है, कब्जा व सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति आदि बिन्दू प्रार्थिगण के पक्ष में है अतः प्रार्थिया को मूल वाद के निस्तारण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रार्थिया सं 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थिगण के अधिवक्ता की बहस का कडा विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थिया मीना वर्मा द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.07.2017 को खसरा संख्या 90 रकबा 2.31 है0 में से 1.44है0 भूमि राजेन्द्र कुमार आ0 मोडूलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी से खरीदी है और इसी प्रकार दूसरी बार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.01.2019 को अप्रार्थिया द्वारा कृषि भूमि खसरा संख्या 90 रकबा 0.87है0 वाके ग्राम बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ राजेन्द्र कुमार जाति बैरवा से खरीद की है इसी अनुसार कब्जा काश्त है तथा नक्शा बना हुआ है वर्तमान में खसरा संख्या 291/90 रकबा 1.44है0 व खसरा संख्या 290/90 रकबा 0.87है0 वाके बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिसकी वर्तमान खातेदार प्रार्थिया है। सेटलमेंट विभाग द्वारा नक्सा ट्रेस तरमीम में कोई गलती नहीं की है। प्रार्थिया अधिवक्ता ने एक तर्क प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थिया व प्रार्थिगण दोनों ही वाद ग्रस्त आराजी के क्रेता है जिन्होंने वादग्रस्त आराजी वर्तमान खसरा व नक्शा ट्रेस अनुसार जमीन क्रय की है। वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदारो में उक्त आराजी के नक्शा ट्रेस को लेकर कोई विवाद नहीं था वे वर्तमान नक्शा ट्रेस अनुसार ही मौके पर काबिज थे इसी अनुसार उन्होनें प्रार्थिगण व अप्रार्थिया को भूमि का बैचान किया था। अप्रार्थिया क्रय किए जाने के उपरान्त से ही वाद ग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है किन्तु प्रार्थिगण के मन में बदनियति आ जाने से उसने प्रार्थिया की जमीन के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण कर रखा है

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थिया द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ के समक्ष बेदखली की कार्यवाही पेश की थी, वाद आराजी पर प्रार्थिगण का कब्जा कभी भी नहीं रहा है। प्रार्थिया अनुसूचित जाति से संबंध ती है एवं उसने यह जमीन भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से ही क्रय की है यहां प्रार्थिगण गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है वे अपना कब्जा प्रार्थिया की जमीन पर बताते भी है तो यह कानूनन उचित नहीं है। प्रार्थिया वर्तमान में वाद ग्रस्त आराजी खसरा संख्या 291/90, 290/90 वाके ग्राम बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ की रिकॉर्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 खतौनी सं 61 व 96 वाके ग्राम बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ के अवलोकन यह स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा संख्या 290/90 रकबा 0.87है0, 291/90 रकबा 1.44है0 की रिकोर्डेड खातेदार अप्रार्थिया मीना वर्मा पत्नी कृष्णकुमार वर्मा जाति वर्मा है तथा जमाबंदी सम्वत 2075 से 2075 खतौनी सं 56 वाके ग्राम बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ के खसरा संख्या 82 रकबा 0.01है0, खसरा संख्या 83 रकबा 1.57है0, खसरा संख्या 84 रकबा 0.96है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.54है0 के रिकोर्डेड खातेदार प्रार्थिगण है। पत्रावली में उभयपक्षों के अभिवचनों से यह स्वीकृत तथ्य है कि वाद विषयक अराजी खसरा संख्या 290/90, 291/90 व 84 वाके ग्राम बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ अप्रार्थिया एवं प्रार्थिगण द्वारा उक्त आराजी के पूर्व भिन्न–भिन्न खातेदारों से जर्ये भिन्न–भिन्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है। प्रार्थिगण यहां यह कथन करते है कि अप्रार्थिया मीना वर्मा द्वारा ग्राम बिशनपुरा में जो कृषिभूमि खसरा संख्या 90 क्रय की गई है उसके सेटलमेंट से पूर्व खसरा संख्या 14/1 था। सेटलमेंट विभाग ने नक्शा ट्रेस में परिवर्तन कर अप्रार्थिया सं 2 के कब्जे अधिकार की भूमि पर प्रार्थिगण के पुराने खसरा संख्या 14 से बने नये खसरा संख्या 84 का नक्शा ट्रेस बना दिया है एवं प्रार्थिगण की कब्जे की भूमि को खसरा संख्या 90 दर्ज कर दिया है इसलिए अप्रार्थिया मीना वर्मा का कब्जा वाद ग्रस्त आराजी 290/90, 291/90 पर नहीं है। यहां प्रस्तुत प्रकरण में गौर करने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रश्नगत आराजी के पूर्व खातेदारों द्वारा सेटलमेंट विभाग द्वारा बनाए गए नक्शा ट्रेस के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की थी और न ही पत्रावली के अवलोकन से प्राथमिक दृष्ट्या यह ज्ञात होता है कि उनके मध्य वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 84, खसरा संख्या 90 पर कब्जे को लेकर मौके पर कोई विवाद था। अप्रार्थिया मीना वर्मा ने वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 90 उक्त भूमि के पूर्व खातेदार राजेन्द्र कुमार आ0 मोडूलाल द्वारा दो भिन्न–भिन्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 26.07.2017 व 25.01.2019 से क्रय की गई है जिसके अनुसार ही वर्तमान खसरा संख्या 290/90 व 291/90 कुल रकबा 2.31 पर उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामांतकरण तस्दीक किया गया है एवं इसी अनुसार नक्सा ट्रेस में तरमीम

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

गया है जिसकी जानकारी प्रार्थिगण को पूर्व से ही होना जाहिर है। प्रार्थिगण ने ग्रस्त आराजी के गलत नक्शा ट्रेस इन्द्राज के संबंध में क्रय किए जाने के काफी विलम्ब से न्यायालय में वाद पेश किया है तथा प्रार्थिगण द्वारा यहां जो वाद पेश किया किया है उसका मुख्य आधार ग्राम बिशनपुरा के खसरा संख्या 90 व 84 के नक्शा ट्रेस की तरमीम सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत किए जाने को लेकर है लेकिन तत्समय न तो प्रार्थिगण और न ही अप्रार्थिया प्रश्नगत भूमि पर काबिज थे दोनों ने सेटलमेंट विभाग द्वारा बनाए गए नए खसरा संख्या एवं नक्शा ट्रेस अनुसार प्रश्नगत आराजी का क्रय किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथनों को साबित करने का भार वादीगण पर है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही तय किए जा सकेंगे। अप्रार्थिया मीना वर्मा द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि उसकी खाते की भूमि में से भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 0.64है0 भूमि अवाप्त कर ली गई है जिसका मुआवजा अप्रार्थिया को मिल चुका है मौक पर 1.67है0 भूमि शेष है। प्रार्थिगण का कथन यह है कि अप्रार्थिया का कब्जा वाद ग्रस्त आराजी पर नहीं है इसलिए उसने तहसीलदार इन्द्रगढ़ के समक्ष प्रार्थिगण के विरूद्ध राज0टी0एक्ट0 की धारा 183बी तहत् बेदखली की कार्यवाही प्रस्तुत की है जिसके संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर आता है कि प्रार्थिया मीना वर्मा ने अप्रार्थिगण(प्रार्थिगण) के विरूद्ध सम्पूर्ण वाद ग्रस्त आराजी पर से बेदखली नहीं चाही गई अपितु प्रार्थिगण द्वारा अप्रार्थिया की खाते की आराजी में से कुछ भू भाग पर किए गए कब्जे से प्रार्थिगण को बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थिगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया है कि अप्रार्थिया के खाते की वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थिगण का कब्जा है जो प्राथमिक दृष्ट्या साबित नहीं होता है। यहां अप्रार्थिया मीना वर्मा अनुसूचित जाति की महिला है जबकि प्रार्थिगण गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। यदि प्रार्थिगण अप्रार्थिया की खातेदारी कृषिभूमि पर काबिज होने संबंधी कथन करते भी है तो वर्तमान परिपेक्ष्य में उनकी हैसियत मात्र एक अतिक्रमी की है। प्रार्थिगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें, हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियां से भिन्न होने से उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थिगण के पक्ष में साबित नहीं होना पाया जाता है। अप्रार्थिया सं 2 मीन वर्मा प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 290/90 व 291/90 ग्राम बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ़ की रिकॉर्डेड खातेदार है। खातेदार शब्द के साथ कब्जे की भावना जुडी हुई है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध प्रार्थिगण के पक्ष में किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है। हमारे मत में प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)